भारतीय कला और तकनीकी शिक्षा के समन्वय पर शैक्षणिक संवाद

एनआईटीटीटीआर भोपाल में भारतीय ज्ञान परंपराओं पर चर्चा, विद्यार्थियों को कला के शास्त्रीय सिद्धांतों की जानकारी दी



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल में भारतीय सौंदर्यशास्त्र और ज्ञान परंपराओं पर शैक्षणिक संवाद आयोजित किया गया। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के कला कोश प्रभाग के निदेशक डॉ. सुधीर लाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग के विद्यार्थियों से संवाद किया।

डॉ. लाल ने कहा कि भारतीय परंपरा में कला सौंदर्य और मनोरंजन के साथ ज्ञान, साधना तथा जीवन-दृष्टि का माध्यम भी रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय वास्तु और शिल्पशास्त्र के सिद्धांत आधुनिक अभियंताओं एवं डिजाइनरों के लिए भी उपयोगी हैं।

संस्थान के निदेशक प्रो. सीसी त्रिपाठी ने शोध आधारित शिक्षा, नवाचार और ज्ञान सृजन के महत्व पर जोर दिया। डीन प्रो. पीके पुरोहित ने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक और शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में डॉ. मुकेश मिश्रा, प्रो. संजय अग्रवाल और डॉ. अमित दुबे उपस्थित रहे।

नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हटाए अतिक्रमण, सामग्री जब्त

भोपाल। नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए। इस दौरान ठेले, गुमठी, फ्रिज, डमी, सूटकेस, स्टूल, बेंच, टेबल सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने सीएम हेल्पलाइन, कॉल सेंटर और अन्य माध्यमों से मिली शिकायतों के निराकरण के साथ नियमित कार्रवाई की। बुधवार को कोलार, चूना भट्टी, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, अयोध्या बायपास, बागसेवनिया, बिट्टन मार्केट, न्यू मार्केट, शाहजहांनाबाद, कोहेफिजा, करोंद, बैरागढ़ सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। निगम अमले ने दुकानों के बाहर रखा सामान, फुटपाथ पर लगी सब्जी, जूते-चप्पल और कपड़ों की दुकानों सहित अन्य अतिक्रमण हटाए। न्यू कबाड़खाना क्षेत्र में दो दुकानों के सामने से कबाड़ का सामान हटाया गया।

डॉ. पूर्णिमा तिवारी बनीं मिसेज यूनिवर्स एंबेसडर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए करेंगी काम

- 85 किलो वजन से शुरू किया सफर
- अंतरराष्ट्रीय मंच पर निःसंतानता के प्रति जागरूकता का दिया संदेश



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल की डॉ. पूर्णिमा तिवारी ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स एंबेसडर का खिताब हासिल किया है। उन्होंने इसे महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी बताया।

डॉ. पूर्णिमा ने बुधवार को चर्चा में बताया कि बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल से चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। करीब एक साल पहले 85 किलो वजन होने के बाद उन्होंने फिटनेस पर काम शुरू किया। पिछले दस महीनों में नियमित व्यायाम और अनुशासित दिनचर्या अपनाई। इस दौरान पति और परिवार ने उनका पूरा सहयोग किया।

प्रतियोगिता में उनकी राष्ट्रीय पोशाक आईवीएफ विशेषज्ञ और डिजाइनर ज्योति परिहार ने टेस्ट ट्यूब बेबी की अवधारणा से प्रेरित होकर तैयार की थी।

डॉ. पूर्णिमा ने कहा कि निःसंतानता किसी की व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि चिकित्सकीय समस्या है, जो महिला या पुरुष किसी में भी हो सकती है। उनका लक्ष्य महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और उन्हें उचित जांच व उपचार के लिए प्रेरित करना है।

पेंशनरों को पांच प्रतिशत महँगाई राहत देने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के पेंशनरों को पांच प्रतिशत महंगाई राहत का भुगतान शीघ्र करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग को पत्र लिखकर एक जनवरी 2026 से लंबित दो प्रतिशत और एक जुलाई 2026 से तीन प्रतिशत महंगाई राहत के भुगतान आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के 28 अक्टूबर के निर्णय का हवाला देते हुए महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरों के अनुरूप भुगतान और समस्त एरियर्स का लाभ देने की मांग की है।

एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि महंगाई राहत कोई सुविधा नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई से राहत देने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने उम्मीद जताई कि सरकार पेंशनरों की कठिनाइयों को देखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। एसोसिएशन ने भुगतान के लिए स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की भी मांग की।

पांच हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मंगलवारा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे बदमाश कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।

मंगलवारा थाना पुलिस के मुताबिक 18 जून 2026 को मंगलवारा छावनी में दोपहर 12:30 बजे एक युवक पर दो लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। पीड़ित युवक हमलावरों को पहचानता नहीं था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आदतन बदमाशों की पहचान की। इस मामले में बिसमिल्ला कालोनी ऐशबाग में रहने वाले मोहम्मद अशफाक के शामिल होने की पुष्टि हुई, लेकिन वह तभी से पुलिस को चकमा देता फिर रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार का इनाम भी घोषित किया था। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर 28 वर्षीय अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया।

वरिष्ठ पत्रकार राजेश विश्वकर्मा का निधन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः वरिष्ठ पत्रकार राजेश विश्वकर्मा का बुधवार को निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शाम पांच बजे सुभाष नगर विश्राम घाट पर किया गया। श्री विश्वकर्मा ने चार दशक की पत्रकारिता में विभिन्न समाचार पत्रों में सेवाएं दीं। वे हिंदू एकता मंच, श्री हिंदू उत्सव समिति और श्रीराम मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार में भी सहयोग करते रहे। उनके निधन से पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। शोकाकुल परिजनों और परिचितों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

भगवान श्री सहस्रबाहु जन्मोत्सव पर 15 नवंबर को निकलेगी भव्य शोभायात्रा

बीएचईएल दशहरा मैदान से शुरू होकर कलचुरी भवन पहुंचेगी यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाआरती का होगा आयोजन



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भगवान श्री सहस्त्रबाहु जन्मोत्सव के अवसर पर कलचुरी कलार समाज, भोपाल द्वारा 15 नवंबर 2026 को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। मंगलवार को कलचुरी भवन में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। शोभायात्रा के मुख्य संयोजक डॉ. एलएन मालवीय के समक्ष विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सुझाव रखे और जिम्मेदारियां निभाने का भरोसा दिलाया।

शोभायात्रा रविवार को सुबह 11:30 बजे बीएचईएल दशहरा मैदान से शुरू होगी। यात्रा कैरियर कॉलेज, चेतक ब्रिज, बोर्ड ऑफिस, नानके पेट्रोल पंप, माता मंदिर चौराहा, मैनिट चौराहा और कोलार तिराहे से होते हुए शाम पांच बजे कलचुरी भवन पहुंचेगी। समापन के बाद भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंत्रोच्चार, आरती, सम्मान समारोह, शास्त्रीय नृत्य, गायन और गरबा प्रस्तुति होगी। भगवान श्री सहस्त्रबाहु और रावण के युद्ध सहित अन्य धार्मिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। बैठक में सहसंयोजक वीरेंद्र पप्पू राय, विंग कमांडर विनोद राय, प्रकाश राय, एमएल राय सहित समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजकों ने भोपाल और आसपास के कलचुरी परिवारों से शोभायात्रा में शामिल होने की अपील की है।

क्रिस्प की कार्यशाला में महिलाओं ने सीखा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

नप्र, भोपालः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (क्रिस्प), भोपाल ने बुधवार को आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की सदस्यों के लिए आईएएस गेस्ट हाउस में कार्यशाला आयोजित की।

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी और कैनवा जैसे डिजिटल साधनों के उपयोग की जानकारी दी। प्रतिभागियों को बताया गया कि सही निर्देश देकर इनकी मदद से लेखन सामग्री, नए विचार, पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रस्तुतियां तैयार की जा सकती हैं। इससे समय की बचत के साथ कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिलती है। सदस्यों ने डिजिटल साधनों के उपयोग से जुड़े सवाल पूछे।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, सेलू कुमार विश्वकर्मा (Selu Kumar Vishwakarma) पिता श्री सिद्धार्थ विश्वकर्मा आयु-वयस्क निवासी- म.नं. 141. चूनाभट्टी राम मंदिर के पास कोलार रोड, भोपाल म.प्र.- 462042 हाल-भोपाल आधार कार्ड नं. 5177 1964 6320 शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं कि मेरा सही एवं वास्तविक नाम **सेलू कुमार विश्वकर्मा** (Selu Kumar Vishwakarma) पिता श्री सिद्धार्थ विश्वकर्मा जो कि सही एवं सत्य है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है।

मेरे पासपोर्ट में मेरे नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग (Vishwakarma Shailu Kumar) दर्ज किया गया है जो कि त्रुटिवश दर्ज किया गया है।

मेरा वास्तविक व सही नाम **सेलू कुमार विश्वकर्मा** मेरे नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग (Selu Kumar Vishwakarma) है जो सही एवं सत्य है जिसे लिखा और पढ़ा जावे और मैं भविष्य में **सेलू कुमार विश्वकर्मा** (Selu Kumar Vishwakarma) के नाम से जाना और पहचाना जाउंगा।

सेलू कुमार विश्वकर्मा
(Selu Kumar Vishwakarma)
पिता श्री सिद्धार्थ विश्वकर्मा
निवासी- म.नं. 141. चूनाभट्टी राम मंदिर के पास कोलार रोड, भोपाल म.प्र.- 462042

2080

15 जनवरी को होगी आर्मी डे परेड, मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में 15 जनवरी 2027 को होने वाली आर्मी डे परेड और उससे पहले आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को आयोजन को शौर्य और गौरव के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।

बैठक में आयोजन स्थलों की व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, आवास, अतिथियों के प्रोटोकॉल और प्रचार-प्रसार पर चर्चा हुई। बताया गया कि मुख्य आयोजन में विशिष्ट अतिथियों के साथ करीब 45 हजार दर्शकों के बैठने, पेयजल, शौचालय, बैरिकेडिंग और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

बीएचईएल स्थित कालीबाड़ी मार्ग का सुधार, रिसर्फेसिंग और विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग का काम एक दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।

टीटी नगर स्टेडियम में शौर्य संस्कृति कार्यक्रम और भोपाल के अपर लेक में एयर शो आयोजित किया जाएगा। इनके लिए सेना के अधिकारियों के साथ समन्वय कर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने यातायात, पार्किंग, प्रवेश और निकास की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

एक दिसंबर से शुरू होने वाली रिहर्सल के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग तय करने, उनका प्रचार करने और संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदेश के पर्यटन स्थलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने पर जोर दिया गया।

आईएसबीटी में निगम की कार्रवाई लंबे समय से खड़ी 15 बसें हटाईं

नप्र, भोपालः नगर निगम ने आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर आईएसबीटी में कार्रवाई करते हुए लंबे समय से खड़ी 15 बसें हटवाईं और एक बस जब्त की। इसके अलावा, सितंबर से परिसर में खड़ी दो बसों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। निगम अमले ने बस स्टैंड परिसर की साफ-सफाई और धुलाई भी कराई।



आयुक्त के निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के पालन में बुधवार को अतिक्रमण निरोधक दस्ते, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने संयुक्त कार्रवाई की। गैर-संचालित बसों को हटाने से पहले मुनादी कराई गई। इसके बाद वर्मा ट्रेवल्स की 13 और भोपाल ट्रेवल्स की दो बसें हटवाई गईं। माला ट्रेवल्स की एक बस जब्त कर क्रेन की मदद से अन्ना नगर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर रखवाई गई। निगम अमले ने आईएसबीटी परिसर में सितंबर से खड़ी भोपाल ट्रेवल्स की दो बसों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बसें हटाने के बाद परिसर में व्यापक स्तर पर साफ-सफाई कराई गई। अमले ने कचरा, कीचड़ और गंदगी हटवाई तथा बस स्टैंड क्षेत्र की धुलाई भी कराई।

मंत्री धर्मेन्द्र लोधी ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं की जनसमस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। विभागीय कार्रवाई से जुड़े प्रकरण संबंधित विभागों को भेजे गए। मंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं का प्राथमिकता से परीक्षण कर समाधान किया जाएगा।

म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग, बोर्ड
74, अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय के पास, भोपाल
दूरभाष : 0755-2553448, 7745964170, E-mail- khadimarketing@gmail.com
क्रमांक / प्रचार-प्रसार-15 / 16-11 / 2026-27 / 2772 भोपाल, दिनांक 23/10/2026

निविदा विज्ञप्ति

म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल द्वारा म.प्र. के सभी संभागों में 07 दिवसीय संभागीय प्रदर्शनी का आयोजन किये जाने हेतु निम्न कार्य अनुसार विभागीय प्रदर्शनी लगाई जाने हेतु (अस्थाई दुकान निर्माण), प्रचार-प्रसार, (ऑटो एड, न्यूज पेपर, एस.एम.एस प्रमोशन), फ्लैक्स प्रिंट मय फ्रेम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी। उपरोक्त कार्य अनुभवी एजेंसी के माध्यम से किया जाना निश्चित किया है। इच्छुक एजेंसियाँ 3 कार्य दिवस में उप संचालक (प्रचार-प्रसार) म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल से सम्पर्क कर सम्पूर्ण आयोजन की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

उप संचालक (प्रचार-प्रसार) म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

पेज एक से जारी खबर का शेष...

गो सेवा की मान्यताएं तो सबके ...

आचार्य श्री ने कहा जीव दया, गो सेवा सेवा की मान्यताएं तो सबके मन में हैं पर इससे पहले इसके लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। आचार्य श्री ने कहा राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। प्रत्येक देशवासी के मन में सबसे ऊपर राष्ट्र का हित और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन होना चाहिए। इस दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्र से रहवासियों के पलायन पर विशेष चिंता व्यक्त की गई। आचार्य श्री ने कहा भारत, गांव में बसता है। भारत के नव निर्माण विकास में ग्रामीणों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रवक्ता सुनील जैनाविन, अंशुल जैन ने बताया कि सकल समाज की ओर से समाधि स्मारक समिति चंद्रगृह तीर्थ डोंगरगढ़ द्वारा मोहन भागवत को महाकवि आचार्य विद्यासागरअलंकरण रत्न से सम्मानित किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ रजत मय गोवंश का प्रतीकात्मक चिन्ह, आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा लिखित कृति के साथ हथकरघा से बनी सामग्री भेट की गई। संघ प्रमुख ने आचार्य विद्यासागर महाराज के आर्शीवाद से बन रही देश की विशाल कृति सहस्त्र कूट जिनालय का अवलोकन कर उन्होंने कहा यह जिनालय नहीं तीर्थ सबकी आस्था श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र होगा। चातुर्मास समिति पंचायत कमेटी निर्वाण कमेटी के पदाधिकारियों के साथ चातुर्मास निर्देशक विनय बंडा, पंकज सुपारी, मनोज बांगा, मनोज प्रधान, अखिलेंद्र जैन, देवेंद्र रुचि, राकेश ओएसडी, विनोद चौधरी अनुपम, राजेश कोयला, ऋषभ प्रगति, सहित अनेक लोग मौजूद थे।

संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद इंदौर रवाना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत बुधवार सुबह अचानक भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने संघ कार्यालय समिधा में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भोपाल प्रवास पूरा करने के बाद भागवत इंदौर के लिए रवाना हो गए। आगमन पर संघ प्रमुख का स्वागत स्वप्निल कुलकर्णी,संघ के प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता और कैलाश लोवंशी ने किया। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर का चरैवेति-एकत्रीकरण इसी श्रृंखला का समापन आयोजन है। इसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों के शामिल होने की तैयारी की गई है।

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई.डी.नं.-0403410371 आवेदन क्रमांक-12733, आवेदन दिनांक-20.07.2026
क्रमांक 2386 / राजस्व / भौविप्रा / 26 भोपाल दिनांक : 09.10.2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की प्राधिकरण की साकेत नगर योजना मे स्थित भूखंड क्रमांक 371, सेक्टर 9-A, श्री एस.के. मालवीय, आ. स्व. श्री गनपत लाल मालवीय एवं श्रीमती सरोज मालवीय पत्नी स्व. श्री एस. के. मालवीय के नाम पर आवंटित है. आवंटियों मे श्री एस. के. मालवीय का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2021 एवं श्रीमती सरोज मालवीय का स्वर्गवास दिनांक 25.02. 2024 को हो जाने के कारन आवंटियों के वारिसगणों श्रीमती निहारिका मालवीय, श्री विशाल व्यास, श्रीमती निवेदिता व्यास एवं श्री सौरभ व्यास सभी पुत्र / पुत्री स्व. श्री एस. के. मालवीय द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखंड का नामांतरण अपने संयुक्त नाम से चाहा गया हैं।

उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से **7 दिवस** के अंदर लिखित एवं साक्ष्य / दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति / दावा प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा / आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

2079

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल
नोटिस प्रकाशन हेतु
उत्तराधिकार

एमजेसी एसयूसी /61/2025
विजय पाटिल बनाम शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक
NEXT DATE :25-11-2026

प्रेषिती, सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विजय पाटिल पता मकान नंबर-ए 66 ओम नगर नयापुरा कोलार रोड, भोपाल ने मृतक स्व. बाबूलाल पाटिल बीमा पॉलिसी की जमा राशि लगग 2,00,000/- रु. + ब्याज की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 25-11-2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक होने सबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में यह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 25.11.2026 की न्यायालय में स्वय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित स्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। यह आज तारीख 29-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
कृपया ध्यान दें:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

कृष्णकांत बागरे, न्यायाधीश
बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

2078

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.

क्रमांक/ भोपाल दिनांक 28/10/2026
प्रकरण क्रमांक :0023/अपील/2026-27

सूचना-पत्र

प्रति, मुंशीलाल मृत द्वारा वारिसान- 01 विशाल आ. स्व. तेजीराम 02 रमेश आ. स्व. तेजराम 03 रंजीत आ. स्व. तेजराम 04 रेखाबाई पुत्री स्व. तेजराम निवासी-वर्जेपुर थाना सलामतपुर तहसील सलामतपुर जिला रायसेन 05 हल्की बाई पुत्री स्व. तेजराम निवासी-नारायण नगर शिवनगर के पास 80 फिट रोड थाना अशोका गार्डन भोपाल 06 कुसुम बाई पुत्री स्व. तेजराम निवासी ग्राम रमपुरा तहसील बैरसिया जिला भोपाल म.प्र. एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक नारायण सिंह आ. स्व. रामकिशन निवासी ग्राम देहरी तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. द्वारा संशोधित पंजी क्रमांक 35 में पारित आदेश दिनांक 07.05.1975 से दुखी एवं व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के तहत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में आप हितबद्ध पक्षकार है। उक्त में यदि आपको या किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 11.11.2026 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष समर्थन/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.

2077

न्यायालय, आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम श्रम न्यायालय क्र.1 भोपाल म.प्र.

प्रकरण कमांक 26/ई.सी.एफ. विविध/2026

सूचना-पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.06.2021 को हुई दुर्घटना में श्रमिक श्री दशरथ सिंह आ0 श्री राजेन्द्र की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि0 द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2026 के परिपालन में रूपये 1477950/- शब्दों चौदह लाख सत्तत्तर हजार नौ सौ पचॉस रूपये जमा किये गये है। यह राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जमा की गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति धारा 21 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक का आश्रित हो तो वह दिनांक 09.12.2026 को सुबह 11.30 बजे मेरे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें और साथ में अपनी शिनाख्तगी के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया हुआ स्वयं का फोटो भी साथ में लावें। उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी। ध्यान रहे कि उपरोक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः आज दिनांक 28/10/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

आयुक्त
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम भोपाल म.प्र.

कार्यालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल, मध्यप्रदेश
क्रमांक /Q/ तह0 / 2026 भोपाल, दिनांक 28/10/26
(सम्पति के विक्रय के लिए सार्वजनिक सूचना)
(नीलामी की सूचना प्रारूप 11 (नियम 9 देखिये)
स्थावर संपति की बिक्री की उद्घोषणा)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 (ग) के अंतर्गत क्योंकि नीचे वर्णित स्थावर संपत्ति ग्राम पिपलिया छापकंद तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 254 रकबा 0.3400 हे० खसरा क्रमांक 258 रकबा 0.0800 हे० खसरा क्रमांक 261 रकबा 0.1500 हे. खसरा क्रमांक 264 रकबा 0.2600 हे० खसरा क्रमांक 283 रकबा 0.2200 हे० खसरा क्रमांक 322 रकबा 0.9200 हे०, खसरा क्रमांक 35 रकबा 0.3900 हे० कुल रकबा 2.36 हे० भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में मेसर्स मोनिका इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा श्रीमती मोनिका दुबे पति ए के दुबे निवासी भोपाल के विरूद्ध मध्यप्रदेश रियल स्टेट रेग्युलेटरी अथारिटी भोपाल द्वारा जारी आर आर सी वसूली राशि 4,52,29,816/- (चार करोड़ बावन लाख उन्तीस हजार आठ सौ सोलह मात्र) दिनांक 29.04.2022 की स्थिति में । कलेक्टर गाईडलाईन वर्ष 2026-27 के अनुसार ग्राम पिपलिया छापकंद का सिंचित / असिंचित कृषि भूमि की राशि रुपए 35,00,000/- रुपये हे० के मान से है। जिसकी कुल कीमत 82,60,000/- रू अग्रधन राशि (10 प्रतिशत) प्रक्रिया शुल्क (1) प्रतिशत एवं प्रकरण में कुल राशि 4,52,29,816/- (चार करोड़ बावन लाख उन्तीस हजार आठ सौ सोलह मात्र) के लिए कुर्क की गई है। एतद द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि इसमें बिक्री के लिए नियत तारीख से पहले कुल शोध्य रकम की अदायगी नहीं किया जाता है तो उक्त संपत्ति का सार्वजनिक नीलामी द्वारा ग्राम पिपलिया छापकंद तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 254 रकबा 0.3400 हे० खसरा क्रमांक 258 रकबा 0.0800 हे० खसरा क्रमांक 261 रकबा 0.1500 हे. खसरा क्रमांक 264 रकबा 0.2600 हे० खसरा क्रमांक 283 रकबा 0.2200 हे० खसरा क्रमांक 322 रकबा 0.9200 हे०, खसरा क्रमांक 35 रकबा 0.3900 हे० कुल रकबा 2.36 हे० का तहसील हुजूर जिला भोपाल के स्थान पर तारीख 02.11.2026 को दोपहर 2.00 बजे अथवा उस समय के लगभग बिक्री कर दिया जावेगा। बिक्री का विस्तार उपर्युक्त संपत्ति में सिर्फ उस बकायादार के स्वत्व, स्वत्वाधिकारी तथा हितो तक सीमित रहेगा। उपरोक्त भूमि जिस दिशा में जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में इच्छुक बोलीदार निम्नलिखित शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदार को उपरोक्त संपत्ति के उल्लेखित शासकीय मूल्य की 10 प्रतिशत धरान राशि बोली से पूर्व डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर, जिला भोपाल के नाम से दिनांक 30.10.2026 को सायं 5.00 बजे से पूर्व तक जमा करना अनिवार्य है। विक्रय की पुष्टि होने पर सफल बोलीदार प्रतिफल का 25 प्रतिशत (जिसमें ई एम डी के लिए पहले भुगतान की गई राशि भी शामिल है) तत्काल भुगतान करेंगे तथा शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान सात दिवस के अंदर करना अनिवार्य है । निर्धारित समयावधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में सफल बोलीकर्ता के द्वारा जमा राशि बिना सूचना के राजसात कर ली जावेगी। सफल बोलीदार के द्वारा प्रक्रिया शुल्क 25,000/-रुपये अदा किया जावेगा। सम्पूर्ण राशि का भुगतान हो जाने के बाद ही सफल बोलीदार को अंतिम विक्रय पत्र दिया जावेगा। खरीददार को दस्तावेज पंजीयन का शुल्क पृथक से देना होगा। प्रथम बोलीदार असफल होने की स्थिति में सात दिवस बाद द्वितीय विक्रयदार के पक्ष में विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसी भी लिपिकीय त्रुटि अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण नीलामी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी। नीलामी का इच्छुक बोलीदार सादे कागज में तहसीलदार के नाम से आवेदन अथवा आवेदक के अभिभावक के माध्यम से मूल आवेदन डिमांड ड्राफ्ट मूल, आधार कार्ड की प्रति इस आशय का शपथ पत्र कि वह नीलामी के सभी बिन्दुओं को पढ़ चुका है एवं सहमत है के साथ ही स्वीकार होंगे । संपत्ति की पहचान हेतु इच्छुक बोलीदार राजस्व निरीक्षक कृष्णकिशोर नागर मो० नं :- 8770683008 को संपर्क कर सकते है ।

तहसीलदार
तहसील हुजूर जिला भोपाल

2076